राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सी–69, खनिज नगर, व्ही.आई.पी. रोड,
रायपुर, छ.ग. पिन कोड–492006

क्रमांक 1733/वि–9/SLNA/14 रायपुर, दिनांक 25/02/2014

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन कृषि सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन वन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, रायपुर,
7. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. डॉ. सी.पी.रेड्डी, उपायुक्त, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
9. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, मंत्रालय, नया रायपुर,
10. आयुक्त, पंचायत, रायपुर,
11. राष्ट्रीय वर्षाजनित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA के प्रतिनिधि, नई दिल्ली,
12. महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, फाफाडीह चौक, रायपुर,
13. निदेशक केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, रीना आपर्टमेंट, पचपेढ़ी नाका, रायपुर,
14. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि. रायपुर,
15. संचालक, विस्तार सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि. रायपुर,
16. डॉ. ए.एल.राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक (इं.गा.कृ.वि.वि.) रायपुर।
17. श्री एम.व्ही.रामचन्द्रुडू, कार्यकारी सचिव, वासन कंसोर्टियम, हैदराबाद।

विषय :– SLNA की सातवीं बैठक दिनांक 18.02.2014 का कार्यवाही विवरण।

विषयांतर्गत मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की सातवीं बैठक दिनांक 18.02.2014 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण।

(अमरनाथ प्रसाद)
CEO-SLNA
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 1734/वि–9/SLNA/14 रायपुर, दिनांक 25/02/2014

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC), जिला समस्त, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

CEO-SLNA
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जलग्रहण परियोजनाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की सातवीं बैठक दिनांक 18/02/2014 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18/02/2014 को महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक अपरान्ह् 04.30 बजे प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। **(परिशिष्ट–एक)**

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य वासन कन्सोर्टियम हैदराबाद के कार्यकारी सचिव श्री एम.व्ही. रामचन्द्रुडू का परिचय कराने के उपरांत मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

एजेण्डा–1: राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की छठवीं बैठक दिनांक 09.01.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

सदस्यों द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की छठवीं बैठक दिनांक 09.01.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–2: विगत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा दिनांक 09.01.2013 की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

IWMP परियोजनाओं के अंतर्गत बैच–3 (स्वीकृत वर्ष 2011–12) एवं बैच–4 (स्वीकृत वर्ष 2012–13) तथा उसके पश्चात् स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए सुजला, कर्नाटक जैसी व्यवस्था बनाने हेतु SLNA कार्यालय में स्थापित किये जाने वाले वेबसर्वर के तकनीकी मापदण्डों के निर्धारण हेतु गठित समिति के संबंध में जानकारी दी गई। इस तीन सदस्यीय समिति में CG-COST, NICSI रायपुर एवं SLNA के एक–एक प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति द्वारा अनुशंसा के उपरांत वेबसर्वर के क्रय का आदेश NICSI, रायपुर को दिया जा चुका है तथा SLNA को वेबसर्वर इसी सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है – इस तथ्य से मुख्य सचिव ~~महोदय~~ को अवगत कराया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा बैच–3 एवं बैच–4 के परियोजनाओं में Monitoring Evaluation Learning and Documentation हेतु बाह्य संस्था के चयन हेतु भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित ToR के आधार पर SLNA द्वारा तैयार किये गये विस्तृत ToR की जानकारी दी गई।

IWMP परियोजनाओं के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों (VOs)/गैर सरकारी संस्थानों (NGOs) एवं कॉर्पोरेट एजेंसियों (CA) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावों के आमंत्रण एवं मूल्यांकन के संशोधित मापदण्डों से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया।

तदुपरांत संशोधित मापदंडों के आधार पर जिलों के स्तर पर पी.आई.ए. के रूप में कार्य करने के इच्छुक NGOs/VOs/CA से प्रस्तावों के आमंत्रण, मूल्यांकन एवं सूचीबद्ध किये जाने की प्रक्रिया से मुख्य सचिव ~~महोदय~~ को अवगत कराया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु चयन किये गये माइक्रो वाटरशेड्स को प्राथमिकता दिये जाने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में माइक्रो वाटरशेड्स के कोड क्रमांक नहीं होने के कारण पेयजल की दृष्टि से प्राथमिकता वाले माइक्रो वाटरशेड का चयन संभव नहीं हो पाने की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा दी गई।

IWMP परियोजनाओं के पी.आई.ए. की सूची एवं प्रगति से उनके विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को SLNA द्वारा अवगत कराये जाने के संबंध में जानकारी दी गई।

इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की एक वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य सचिव द्वारा IWMP परियोजनाओं में कार्यरत् समस्त विभागों के शासकीय एवं गैर–शासकीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के कार्य–निष्पादन की क्षमता के निर्धारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के आदेश दिये गये।

एजेण्डा–3: IWMP परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2013–14 हेतु जिलों से प्राप्त नवीन प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (PPR) प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में।

भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक Z-11011/18/2009, दिनांक 21.10.2013 द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 1.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए PPR निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तत्संबंध में SLNA से 18 जिलों से 32 PPR प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1355, दिनांक 04.12.2013 द्वारा भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किए जाने की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा दी गई।

विवरण निम्नानुसार है :–

जिलों की संख्या	PIA	प्रस्तावों की संख्या	माइक्रोवाटरशेड की संख्या	उपचार योग्य रकबा (लाख हे.)	प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
18	ZP/DRDA	32	246	1.69	238.73

चर्चा उपरांत 32 PPR प्रस्ताव जिनका सम्मिलित उपचार योग्य रकबा 1.69 लाख हेक्टेयर है, का अनुमोदन किया गया।

इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा शेष 09 जिलों से आगामी वर्ष 2014–15 हेतु PPR मंगाये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा–4: राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु सोसायटी छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत समिति के रूप में पंजीयन कराने के सैद्धांतिक अनुमोदन के संबंध में।

चर्चा के उपरांत मुख्य सचिव की सहमति से SLNA को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ के तहत समिति के रूप में पंजीकृत कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा–5: वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में स्वीकृत बैच–3 एवं बैच–4 की IWMP परियोजनाओं में Monitoring Evaluation Learning and Documentation हेतु बाह्य संस्था के चयन विषयक।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि IWMP परियोजनांतर्गत वर्ष 2011–12 (बैच–3) में 2.98 लाख हे. क्षेत्र उपचार हेतु रू. 358.60 करोड़ की लागत से 69 परियोजनाएं 23 जिलों में स्वीकृत है। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 (बैच–4) में 1.24 लाख हे. क्षेत्र उपचार हेतु रू. 159.08 करोड़ की लागत से 27 परियोजनाएं 15 जिलों में स्वीकृत हैं। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत–2008 यथा संशोधित–2011 के अनुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के

लिए परियोजना लागत की क्रमशः एक–एक प्रतिशत की राशि उपरोक्त परियोजनाओं के लिए निर्धारित (लगभग 10.35 करोड़) है।

IWMP परियोजनांतर्गत उक्त दोनों बैच (बैच–3 तथा बैच–4) के Monitoring Evaluation Learning and Documentation से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु संस्था/कन्सोर्टियम का चयन, गुणवत्ता तथा लागत आधारित (Quality & Cost Based Selection-QCBS) प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार, DoLR, MoRD से प्राप्त Model ToR में आवश्यक संशोधन उपरान्त IWMP परियोजनाओं के लिए विस्तृत ToR बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त सेवाओं के लिए संस्था/कन्सोर्टियम के चयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है:–

1. प्रथम चरण–सर्वप्रथम खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा संस्थाओं से EOI (अभिरूची का प्रदर्शन) प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें। इस हेतु प्रस्तावित ToR में उल्लेखित चयन के मापदण्डों के आधार पर विकसित किये गये प्रपत्र में संस्थाओं द्वारा निर्धारित जानकारी प्रेषित की जायेगी।
2. द्वितीय चरण–प्राप्त प्रस्तावों में से प्राप्तांकों के आधार पर वरियता क्रम में अधिकतम 06 संस्था/कन्सोर्टियम का चयन विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए किया जायेगा।
3. तृतीय चरण–चयनित संस्थाओं को प्रस्ताव हेतु आमंत्रण (RFP) भेजा जायेगा। संस्थाओं को अलग–अलग लिफाफों में तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव जमा करना होगा। तकनीकी प्रस्ताव हेतु अधिकतम अंक 85 एवं Process Presentation on MEL&D हेतु अधिकतम अंक 15 निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के पश्चात् संस्थाओं को Process Presentation on MEL&D के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तत्पश्चात् केवल उन्हीं संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे जिन्होंने 100 में से संयुक्त रूप से न्यूनतम 65 अंक प्राप्त किये हैं। इसके उपरांत तकनीकी प्रस्ताव को 75 तथा वित्तीय प्रस्ताव को 25 अंक का अधिभार देते हुए वरियता क्रम निर्धारित की जायेगी एवं प्रथम वरियता वाले संस्थान/कन्सोर्टियम से निगोसियेशन कर अंतिम चयन किया जायेगा।

भारत सरकार, MoRD, DoLR से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार बैच–3 (स्वीकृत वर्ष 2011–12) एवं बैच–4 (स्वीकृत वर्ष 2012–13) की परियोजनाओं का मूल्यांकन नवीन Model ToR के आधार पर किया जाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा अवगत कराया गया की संस्था के चयन हेतु विस्तृत ToR तथा प्रक्रिया का अनुमोदन विभागीय मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त की जा चुकी है।

चर्चा उपरांत संस्था/कन्सोर्टियम के चयन हेतु प्रक्रिया तथा ToR के विभागीय अनुमोदन की SLNA द्वारा पुष्टि की गई।

एजेण्डा–6: नवीन छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) 2012–13 से 2026–27 में आंशिक संशोधन विषयक।

दिनांक 22.02.2013 को भारत सरकार स्तर पर आयोजित स्टेयरिंग कमेटी की 31वीं बैठक में वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) में आंशिक संशोधन के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) में निम्नानुसार कमियां परिलक्षित हुई थी :–

बिंदु 1. कुल अनुपचार योग्य (Untreatable) माइक्रो वाटरशेड की संख्या एवं क्षेत्रफल की जानकारी शामिल नहीं थी।

बिंदु 2. भूमि संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा संचालित जलग्रहण परियोजनांतर्गत उपचारित माइक्रो वाटरशेड की संख्या एवं क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

बिंदु 3. 12वीं, 13वीं एवं 14वीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार लक्ष्य का युक्तियुक्त करण किया जाना था चूंकि इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के शेष अनुपचारित माइक्रो वाटरशेड को उपचारित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था।

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 हेतु प्रतिवर्ष 1.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने का लक्ष्य IWMP परियोजनांतर्गत दिया गया है। अतएव छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) में निर्धारित लक्ष्य को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

चर्चा उपरांत उपरोक्त तीनों बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) के संशोधित Abstract का अनुमोदन किया गया।

ABSTRACT OF THE STATE: CHHATTISGARH

<table>
<tr><th rowspan="2">S. No.</th><th rowspan="2" colspan="3">Item</th><th colspan="2">Details</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Area (lakh ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">Total micro-watersheds (MWS) in the State</td><td>17623*</td><td>135.09*</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">Total untreatable MWS (Barren Rocky, assured irrigation, etc.)</td><td>1256</td><td>18.27</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">Total treatable MWS in the State (1-2)</td><td>16367</td><td>116.82</td></tr>
<tr><td>4a</td><td colspan="3">Total MWS covered under pre-IWMP schemes of DoLR</td><td>1960</td><td>8.31</td></tr>
<tr><td>b</td><td colspan="3">Total MWS covered under schemes of other Ministries</td><td>1284</td><td>6.09</td></tr>
<tr><td>c</td><td colspan="3">Total MWS covered under IWMP upto 2012-13 of DoLR</td><td>1913</td><td>9.19</td></tr>
<tr><td>d</td><td colspan="3">Total of 4 a to c</td><td>5157</td><td>23.59</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">Balance micro-watersheds not covered till date (3-4d)</td><td>11210</td><td>93.23</td></tr>
<tr><td rowspan="7">6</td><td rowspan="7">Plan for covering balance micro-watersheds</td><td rowspan="4">12th Plan</td><td>2013-14</td><td>246</td><td>1.7</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>470</td><td>2.35</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>470</td><td>2.35</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>470</td><td>2.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">13th Plan</td><td>3000</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">14th Plan</td><td>4000</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>8656</td><td>43.75</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td colspan="3">No. of projects (clusters) proposed for 2013-14</td><td colspan="2">32</td></tr>
<tr><td colspan="3">Estimated project cost (Rs. in crore)</td><td colspan="2">238 crore</td></tr>
<tr><td colspan="3">Central share (Rs. in crore)</td><td colspan="2">215 crore</td></tr>
<tr><td colspan="3">State share (Rs. in crore)</td><td colspan="2">23 crore</td></tr>
</table>

(* Figures from SPSP approved by SLNA in 5th meeting held on 01.10.2012)

एजेण्डा–7: राजनांदगांव जिले की वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजना क्र. IWMP-3 के उपचार क्षेत्र में आंशिक संशोधन विषयक।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा जिले में वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजना क्र. IWMP-3 परियोजना में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। IWMP-3 परियोजना के वर्तमान में स्वीकृत ग्राम बसेली (905 हे.), हनीका खुर्द (309 हे.), हनीका कला (500 हे), धाबा (941 हे.) के स्थान पर परियोजना क्षेत्र में बेलगांव (334 हे.), कोहका (908 हे.), सहपाल (685 हे.), चावरगांव (566 हे.), एवं वन क्षेत्र (161.994 हे.) को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर संशोधित PPR प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये।

एजेण्डा–8: जिलों में गठित जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्रों (WCDCs) में पदस्थ संविदा पदों के एक मुश्त मासिक संविदा वेतन में पुनरीक्षण विषयक।

छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 297/एल–2013–71–00023/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2013 द्वारा संविदा वेतन में वृद्धि उपरांत 1 अगस्त 2013 से बढ़ी हुई दर पर संविदा वेतन के भुगतान हेतु पूर्व में प्रदाय विभागीय अनुमोदन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

क.	पद का नाम	छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 292/289/वित्त /नियम/चार/2009 नया रायपुर, दिनांक 09.09.2009 द्वारा निर्धारित संविदा वेतन	छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 297/एल–2013 –71 –00023/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2013 द्वारा निर्धारित संविदा वेतन
1	2	3	4
1	तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी)	20,880	27,460
2	तकनीकी विशेषज्ञ (आजीविका)	20,880	27,460
3	प्रबंधन विशेषज्ञ	20,880	27,460
4	वित्त समन्वयक	20,880	27,460
5	लेखापाल	9,120	12,030
6	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	8,080	10,670

चर्चा उपरांत कॉलम (4) में दर्शित बढ़ी हुई दर पर संविदा वेतन के भुगतान हेतु पूर्व में प्रदाय विभागीय अनुमोदन की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–9: जलग्रहण विकास दल (WDTs) में पदस्थ संविदा पदों के एक मुस्त मासिक संविदा वेतन में पुनरीक्षण विषयक।

छत्तीसगढ़ राज्य में IWMP परियोजनाओं अंतर्गत जलग्रहण विकास दल के 4 पद प्रत्येक परियोजना में स्वीकृत है।
छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 297/एल–2013–71–00023/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2013 द्वारा संविदा वेतन में वृद्धि उपरांत 1 अगस्त 2013 से बढ़ी हुई दर पर संविदा वेतन के भुगतान हेतु पूर्व में प्रदाय विभागीय अनुमोदन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

क.	पद का नाम	छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 292/289/वित्त/नियम/चार/2009 नया रायपुर, दिनांक 09.09.2009 द्वारा निर्धारित संविदा वेतन	छत्तीसगढ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 297/एल–2013 –71 –00023/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2013 द्वारा निर्धारित संविदा वेतन
1	2	3	4
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	13,700	18,080
2	WDT सदस्य (आजीविका)	11,820	15,600
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	11,820	15,600
4	लेखापाल सह डाटा ऐण्ट्री ऑपरेटर	8,080	10,670

चर्चा उपरांत कॉलम (4) में दर्शित बढ़ी हुई दर पर संविदा वेतन के भुगतान हेतु पूर्व में प्रदाय विभागीय अनुमोदन की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–10: जलग्रहण परियोजनाओं की प्रगति (माह जनवरी 2014 की स्थिति में)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा राज्य में माह जनवरी 2014 की स्थिति में संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा यह अवगत कराया गया कि IWMP परियोजनांतर्गत जिलों में 43.61 करोड़ रूपये Unspent balance के रूप में है, जिसे 31 मार्च 2014 तक अनिवार्यतः व्यय किया जाना है। इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुख्य सचिव ~~महोदय~~ को अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विगत माह ही समस्त 27 जिलों के कलेक्टर को Unspent balance 31 मार्च 2014 तक अनिवार्यतः व्यय किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।

IWMP परियोजनाओं के सुचारु रुप से संचालन हेतु पंचायतों को नोडल एजेंसी के रुप में नियुक्त करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये। तत्संबंध में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी किया जा चुका है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि वाटरशेड समिति ग्राम पंचायत की एक उप समिति होगी तथा इस समिति का अध्यक्ष सरपंच होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा IWMP परियोजनाओं में कार्यरत् WCDC एवं WDT स्तर के अमलों के संबंध में जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत प्रदेश में WCDC के 117 स्वीकृत पदों में से कार्यरत् अमलों की संख्या 91 एवं WDT के स्वीकृत 683 पदों में से कार्यरत् अमलों की संख्या 348 है। परियोजना प्रारंभ से आज दिनांक तक WCDC के 35 एवं WDT के 154 पदों पर नियुक्त कर्मचारी किन्हीं कारणों से अपने पदों को छोड़कर जा चुके हैं। अमलों की कमी से IWMP परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई है। अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पूर्व में IWMP परियोजनांतर्गत कृषि विभाग के अमलों को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा कृषि विभाग को पुनः पत्र लिखे जाने हेतु निर्देश दिये गये।

IWMP परियोजनाओं की प्रगति के समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव द्वारा वासन कन्सोर्टियम, हैदराबाद को क्षमता निर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाली प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण सामग्री में हिन्दी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग हेतु निर्देश दिये गये।

अंत में अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ मुख्य सचिव महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(मुख्य सचिव छ.ग. अध्यक्ष) (मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA)

(परिशिष्ट–1)

जलग्रहण परियोजनांतर्गत
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की सातवीं बैठक, दिनांक 18.02.2014, में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	उपस्थित अधिकारी का नाम/पदनाम
1	श्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री विवेक ढाँड, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3	श्री डी.एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4	डॉ. जे.के. उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
5	श्री देवाशीष दास, सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6	श्री अनिल कुमार साहू, सचिव, वन विभाग
7	श्री बी.एल.ध्रुव, संयुक्त संचालक, पंचायत
8	श्री संतोष सिंह, संयुक्त संचालक, जन संपर्क
9	श्री ए.एल. राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक, इं.गा.कृ.वि.वि.
10	डॉ. आर.एन.शर्मा, सहायक संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि.
11	श्री मनोहर मूले, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग
12	श्री विनोद वर्मा, अवर सचिव, कृषि विभाग
13	श्री एम.व्ही. रामचन्द्रुडू वासन कन्सोर्टियम हैदराबाद के कार्यकारी सचिव
14	श्री अमर नाथ प्रसाद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA